



# माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुर्वारका, सहारनपुर, उ०प्र०, पिन-247120)

Website- [msuniversity.ac.in](http://msuniversity.ac.in)

E-mail registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 1019 / 12 / ACD / एम०एस०यू० / जांच समिति / 2025-26

दिनांक: 1 / 09 / 2025

सेवा में,

01. प्राचार्य/प्राचार्या,

समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्त-पोषित,  
जनपद-सहारनपुर, शामली एवं मुजफ्फरनगर।

02. शैक्षणिक समन्वयक, विश्वविद्यालय परिसर।

**विषय:- विश्वविद्यालय/संस्थान व उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की उपस्थित 75 प्रतिशत अनिवार्य किये जाने तथा सी०सी०टी०वी० कैमरा लगाये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र सं० ई-5914/32-जी०एस०/2025/103-3/154/2025 दिनांक 26.08.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से माननीया कुलाधिपति महोदया द्वारा विश्वविद्यालय/संस्थान व उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की उपस्थित 75 प्रतिशत अनिवार्य किये जाने तथा सी०सी०टी०वी० कैमरा लगाये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

विश्वविद्यालय के नियमानुसार किसी भी छात्र की कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होती है। अक्सर यह पाया जाता है कि छात्रों की कक्षा में उपस्थित 75 प्रतिशत से कम रहती है, यदि ऐसा पाया जाता है तो ऐसे छात्रों की कम उपस्थिति के कारण नियमानुसार वह परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं।

अतः उक्त के सम्बन्ध मा० राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.08.2025 क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि किसी छात्र/छात्रा की उपस्थित 75 प्रतिशत से कम होगी तो उसे परीक्षा फार्म भरने एवं परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी। इस नोटिस को विश्वविद्यालय/संस्थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के साथ ही इसे वैबसाइट पर प्रकाशित किया जाये एवं कक्षाओं में व्यक्तिगत रूप से भी अवगत कराया जाये यदि उपस्थिति बायोमैट्रिक प्रणाली से सुनिश्चित हो तो उपयुक्त होगा।

कृपया तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

**संलग्नक: यथोक्त।**

  
01-9-25  
कुलसचिव

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ:-**

01. कुलपति कार्यालय को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
02. परीक्षा नियंत्रक।
03. उपकुलसचिव (प्रवेश)
04. गार्ड फाइल।

  
सहा० कुलसचिव